राजस्थान सरकार

निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान,जयपुर

क्रमांकःएफ1(ए)169/पार्ट–1/संस्था/बीमा/2021/ दिनांक : 15-12-2021

आदेश 555

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के **श्री सुनील कुमार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी** का राजकीय सेवा में **रहते हुये दिनांक 25.07.2020** को निधन हो जाने पर उनके आश्रित पुत्र **श्री राधे खनगवाल** को विभाग में मृतक आश्रितों की नियुक्ति हेतु गठित कमेटी की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितो को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांकःप. 7(2)डीओपी/क–2/2005 दिनांक 20.01.2006, वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ12(6)वित्त/नियम/05 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ1(2) वित्त/नियम/2006 दिनांक 13.03.2006 में उल्लेखित शर्तो पर 2 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन काल में **चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी** के पद पर नियुक्ति दी जाती है।

श्री राधे खनगवाल को विभागीय कार्यालय अतिरिक्त निदेशक(साबीयो), राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग, वित्त भवन, जयपुर में पदस्थापित किया जाता है। अभ्यर्थी को 15 दिवस में कार्यग्रहण(Duty Joining) करना होगा।

उक्त प्रावधानों के तहत उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई आधार पर **चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी** के पद पर निम्न शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है :–

1 आवेदक की कक्षा 09 की अंकतालिका के अनुसार **जन्मतिथि 21.11.2003** अंकित है।

2 इन्हे परिवीक्षा की कालावधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफडी(नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा(पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2017 के नियम 16 अनुसूची–4 में उल्लेखित शर्तो के अनुसरण में दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत पारिश्रमिक रूपये 12400/–(FIXED REMUNERATION) की दर से मासिक भुगतान किया जाएगा।

3 इनके द्वारा परिवीक्षा की कालावधि में नियमित/निरन्तर संतोषजनक सेवा सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर नियम 17 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना (पे–मेट्रिक्स लेवल संख्या 1) वेतन नियतन किये जाने सम्बन्धी आदेश पृथक से जारी किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

4 राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग–I अध्याय में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नही होगा।

5 यदि अभ्यर्थी निश्चित अवधि 15 दिवस में भी रिपोर्ट नही करता है और न ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को भिजवाता है तो उसके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेगें।

6 कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.02.2001 के अनुसार मृतक के अन्य आश्रितों का उचित तौर पर भरण पोषण नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी की यह नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

7 राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश सं. एफ.13(1)एफ.डी./रूल्स/2003 दिनांक 28.01.04 एवम् 27.03.04 के तहत नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगें एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हों, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवा लाभ देय होंगें।

8 कार्यग्रहण करते समय अभ्यर्थी को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे–
1. पुलिस चरित्र सत्यापन 2. सक्षम स्तर से जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र 3. शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि का प्रमाण–पत्र, 4. परिवार का विवरण, 5. दो राजपत्रित अधिकारियों से प्राप्त चरित्र प्रमाण–पत्र, 6. दहेज नहीं लेने–देने का शपथ पत्र, 7. दिनांक 01.06.2002 के पश्चात दो से अधिक संतान नहीं होने सम्बन्धी शपथ पत्र/घोषणा पत्र एवं अन्य शपथ पत्रों की मूल प्रतियां कार्यग्रहण करते समय सक्षम अधिकारी के समक्ष स्वयं प्रस्तुत करें एवं इन दस्तावेजो की सत्यापित प्रतियां (एक सेट) पेश करना होगा अन्यथा कार्यग्रहण नहीं करवाया जायेगा।

(शरद मेहरा)
निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग,
राजस्थान, जयपुर

D:\...\169 DETH APPOINTMENT AND PERSONAL\OFFICE ORDERS\APPOINTMENT ORDER IV-2445 RADHYE.DOC

क्रमांक::एफ1(ए)169/पार्ट–1/संस्था/बीमा/2021/10682-92 दिनांक : 15-12-2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, निदेशक महोदय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य लेखाधिकारी,राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक(साबीयो), राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, सा.बी.नि., वित्त भवन, जयपुर।
4. **श्री राधे खनगवाल**, पुत्र स्व. **श्री सुनील कुमार**, पताः– 38, शिव नगर, जैनता कॉलोनी, सोफिया स्कूल के पास, घाट गेट, जयपुर–302004 को प्रेषित कर लेख है कि आपको उक्त वर्णित बिन्दु संख्या 8 के अनुसार दस्तावेजों की पूर्ति सुनिश्चित करते हुए 15 दिवस में कार्यग्रहण करना होगा।
5. केडर स्ट्रैंथ लिपिक/ सेवा पुस्तिका लिपिक/ वरिष्ठता निर्धारक लिपिक/ए.सी.आर. संधारित लिपिक, मुख्यालय, जयपुर
6. निजी पत्रावली/सम्बन्धित पत्रावली/रक्षित पत्रावली ।

15/12/2021

(किशनाराम ईशरवाल)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग,
राजस्थान, जयपुर

C:\USERS\RAMGOPAL JI\DOWNLOADS\APPOINTMENT ORDER IV-2445 RADHYE.DOC